

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-३/१, अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर।

क्रमांक:- एफ.11(76)()अ.नि./सान्याअवि/2020/ ५९०६९

जयपुर, दिनांक: १८ दिसम्बर, 2020

आदेश

डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, छात्रावास अनुप्रति एवं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के विभागीय वेबपोर्टल SJMS Application का डाटा जो वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के सेल RSDC P-1/P-3 में संधारित हो रहा है, को सेल RSDC P-4 में स्थानांतरित किये जाने के लिये SJMS, Hostel, Anuprati and Mukya mantri Kanyadan Yojana Application को दिनांक 19.12.2020 से 28.12.2020 तक के लिये शट डाउन (बंद) किया जाना आवश्यक है। इस अवधि में SJMS Application पोर्टल पूर्णतया शट डाउन (बंद) रहेगा तथा उपरोक्त योजनाओं से संबंधित आवेदन ऑनलाइन प्राप्त करने, आवेदनों की जांच, भुगतान, रिपोर्ट देखने एवं निकालने आदि समस्त कार्य बंद रहेंगे।

अतः आवश्यक रखरखाव को देखते हुए दिनांक 19.12.2020 से 28.12.2020 तक के लिये SJMS Application पोर्टल शट डाउन (बंद) किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।


(ओ. पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.11(76)()अ.नि./सान्याअवि/2020/ ५९०७०-१५० जयपुर, दिनांक: १८ दिसम्बर, 2020
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (समस्त),
- अतिरिक्त निदेशक (छात्रावास एवं छात्रवृत्ति), मुख्यावास को सूचनार्थ।
- अतिरिक्त निदेशक (सामाजिक सुरक्षा), मुख्यावास को सूचनार्थ।
- सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), सान्याअवि, मुख्यावास को भेजकर लेख है कि शट डाउन अवधि में आवेदन करने हेतु प्रावधित एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने वाले आवेदकों एवं ऑटोरिजेक्ट होने वाले आवेदकों के प्रकरणों में 10 दिवस की वृद्धि करावें एवं वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
- उप/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, (समस्त).....।
- आदेश पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (अत्याचार निवारण)